

भारत सरकार  
कार्यालय महाप्रबंधक  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
गाजीपुर (उ०प्र०)– 233 001

फा०सं०-2/25/2018/PSC

दिनांक- 26<sup>th</sup> February, 2019

प्रति,

नोटिस बोर्ड/विभागीय बेबसाईड

महोदय,

**विषय :- Chemflo chemical process centrifugal pump आपूर्ति हेतु दर हेतु कोटेशन-**

महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार कय करने हेतु फर्मों से बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं निर्धारित प्रोफार्मा में वित्तीय कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। केवल GSTN पोर्टल पर GST में रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा डालने के पात्र होंगे। कोटेशन को दिनांक 19.03.2019 को 4.00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। तकनीकी कोटेशन दिनांक 19.03.2019 को 4.30 बजे अपराह्न में खोली जायेगी। तकनीकी कोटेशन में सफल पाए गए फर्मों की वित्तीय कोटेशन दिनांक 26.03.2019 को अपराह्न 4.30 बजे खोली जायेगी। कोटेशन को विभागीय वेब साइट goaf.gov.in or eprocure.gov.in से download मूल्य रहित किया जा सकता है। यह टेन्डर प्रपत्र महाप्रबंधक कार्यालय रु 500/- मात्र जमा कर प्राप्त किया जा सकता है जो वापस योग्य नहीं होगा।

क.स.	सामग्री का विवरण (पूरे स्पेशिफिकेशन सहित)	मात्रा/संख्या/वजन आदि (इकाई के साथ)
1	2	3
1	Chemflo chemical process Centrifugal Pump. Body, shoft and impeller made from SS-316 Model – MSP-1A– 40 X25 – 125, RPM – 2900 Complete with base plate and suitable flame proof AC, Induction Motor, 3 Phase, Make – AKAY Industry.	2 Set
2	Chemflo chemical process Centrifugal Pump. Body, shoft and impeller made from SS-316 Model – MSP-1A – 40 X25 – 160, RPM – 1450 Complete with base plate and suitable flame proof AC, Induction Motor, 3 Phase, Make – AKAY Industry.	2 Set
3	Chemflo Cartridge Mechanical Seal. Type – CR100 B1 Suitable for Model – MSP-1A – 40 X25 – 125 and 440 X25 – 160, Make – AKAY Industry.	6 Nos.

**नोट :-** (1) सामग्री के मात्रा में कमी / बढ़ोतरी हो सकती है।

**नियम एवं शर्तें**

(i) वित्तीय कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन प्रोफार्मा के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उसपर विचार नहीं किया जायेगा। दर के साथ-साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आइटम की कुल कीमत (कॉलम 7) एवं संपूर्ण आपूर्ति की कुल कीमत को अन्त में अंकों एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है तथा ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन में किसी भी तरह की ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।

(ii) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम एवं फर्म की सील आदि न होने पर उसका कोटेशन मान्य नहीं होगा।

(iii) GST ऐक्ट के तहत सामग्री का कोड दर्शाना आवश्यक है।

(iv) यदि वस्तु को अधिकतम खुदरा मूल्य(maximum retail price) के आधार पर बेचे जाने का प्रावधान है तो कोटेशन के प्रोफार्मा में दर के कॉलम (कॉलम 5) में अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाने वाली छूट (discount) का प्रतिशत दें। छूट के बाद देय मूल्य में सभी कर सम्मिलित माने जायेंगे।

(v) सामग्री की आपूर्ति सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना के अल्कालायड स्टोर/जनरल स्टोर में करना अनिवार्य है।

(vi) फर्मों के द्वारा तकनीकी कोटेशन के साथ (Bid Security) रु 21,000.00 (डिमांड ड्राफ्ट, एफ.डी.आर., बैंकर्स चेक एवं बैंक गारंटी के रूप में) अग्रिम जमानत राशि, प्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के नाम जमा करना होगा। अग्रिम मानत राशि टेन्डर के साथ न होने की स्थिति में, टेन्डर पर विचार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में किसी अन्य मद में जमा धनराशि भी मान्य नहीं होगी। नगद अग्रिम धनराशि स्वीकार नहीं की जाएगी। न्यूनतम दर दाता को छोड़कर अन्य फर्मों द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी डिपोजिट को आपूर्ति आदेश

जारी होने के पश्चात् वापस कर दिया जाएगा निविदा में सफल दर दाता को कुल मूल्य का दस प्रतिशत परफॉरमेंस सिक्योरिटी सी0डी0 आर0/ बैंक ड्रॉफ्ट/ बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। Chemflo chemical process Centrifugal Pump के आपूर्ति एवं संचालन के एक वर्ष के पश्चात् आपूर्तिकर्ता को इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्त के लगभग पन्द्रह दिनों के भीतर परफॉरमेंस सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी।

(VII) फर्मों द्वारा दिए गए दर की वैधता कोटेशन खोले जाने के तिथि/दिन से 180 दिनों की होगी। इस सम्बन्ध में 180 दिन से कम की वैधता मान्य नहीं होगी। कोटेशन दाता द्वारा कम दिनों की वैधता देने की दशा में उनके कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(VIII) उपरोक्त सामान की आपूर्ति, आदेश प्राप्त के लगभग 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर करनी होगी। आपूर्ति हेतु वास्तविक अवधि / तारीख, आपूर्ति आदेशों में दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में, आपूर्ति हेतु अधिक समय की माँग बिना समुचित कारण के स्वीकार्य नहीं होगी। आपूर्ति कर्ता द्वारा कोटेशन दिये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आपूर्ति हेतु दी गयी समय-सीमा एवं अन्य शर्तें उन्हें पूर्णतया मान्य हैं। आपूर्ति कर्ता द्वारा आपूर्ति हेतु ज्यादा अवधि माँगे जाने की स्थिति में उसे आपूर्ति हेतु अनिच्छुक समझा जायेगा यदि वह विभाग द्वारा आपूर्ति हेतु दी गयी समय सीमा (बढ़ायी गयी समय सीमा को मिलाकर) में आपूर्ति करने हेतु राजी नहीं होता है या दी गयी समय सीमा में आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है।

(IX) सामग्री आपूर्ति के लिए दिये गये आपूर्ति अवधि के बाद (विलंब से) आपूर्ति करने पर निम्नांकित कटौती किया जाएगा:—

(क) उस स्थिति में जब कय आदेश के विभिन्न सामग्रियों का संयोजन एक पूर्ण इकाई के निर्माण हेतु आवश्यक हो तब जुर्माना कय आदेश के कुल कीमत पर निर्धारित विवरण के अनुसार देना पड़ेगा।

(ख) उस स्थिति में जब कय आदेश के विभिन्न सामग्रियों का उपयोग अलग-अलग किया जाना हो एवं उनके कार्य करने हेतु संयोजन आवश्यक नहीं हो अर्थात् आपूर्ति न की गयी सामग्री से आपूर्ति की गयी सामग्री के पूर्ण प्रयोग पर कोई असर नहीं पड़ता तो देरी से आपूर्ति किए गए सामग्री के मूल्य पर जुर्माना देना पड़ेगा।

- |      |                                                                     |                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| i.   | प्रथम 07 (सात) दिन तक के विलम्ब पर                                  | मूल्य से 2 % (दो प्रतिशत) कटौती   |
| ii-  | उपरोक्त(i) के बाद अगले 08 (आठ) दिन तक या उसके किसी अंश के विलम्ब पर | मूल्य से 5% ( पाँच प्रतिशत) कटौती |
| iii- | कुल 15 (पन्द्रह) दिनों से अधिक का विलम्ब होने होने पर               | मूल्य से 10% (दस प्रतिशत) कटौती   |

(X) प्रतिष्ठान के सुरक्षा क्षेत्र में सामग्री आपूर्ति / कार्य हेतु जाने के लिए गेट पास जारी होने के पश्चात् प्रवेश करना होगा। आपूर्ति / कार्य हेतु सुरक्षा क्षेत्र में जाने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को ले जाने के लिए उनके पहचान का निर्धारित प्रारूप दो प्रतियों में भर कर शपथ पत्र देना होगा जिसके आधार पर ही पास जारी किया जायेगा।

(X) वी.पी.पी. आधार पर लेन देन स्वीकार्य नहीं होगा तथा सामान की आपूर्ति के लगभग 15 से 20 दिनों के अन्दर बिना किसी ब्याज के भुगतान किया जायेगा।

(XII) आपूर्ति कर्ता / निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी तरह से अन्य शर्तें देने की दशा में उसे आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता द्वारा अनिच्छुक माना जा सकता है यदि वह अन्ततः ऐसी किसी अतिरिक्त शर्त / शर्तों को वापस नहीं लेता है तथा ऐसे कोटेशनों को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दिया जाएगा।

(XIII) सामान की आपूर्ति में अयुक्तियुक्त (unreasonable) देरी होने से आपूर्ति आदेश, आपूर्ति से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में महाप्रबंधक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(XIV) देरी से (निर्धारित या बढ़ी हुई समय सीमा के बाद) आपूर्ति करने पर आपूर्ति कर्ता को आपूर्ति आदेश में दिए गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।

(XV) सामग्री की वापसी :- जांच/परीक्षण में यदि सामग्री आपूर्ति में दिए मानकों /विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पायी गयी तो वह स्वीकार्य नहीं की जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता उस सामग्री को स्वयं के व्यय पर मॉगकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किए जाने के एक सप्ताह या महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पर बढ़ायी गयी समय सीमा के अन्दर वापस ले जाने के लिए बाध्य होंगे। यदि सामग्री उपरोक्त समय सीमा में वापस नहीं ले जायी जाती है तो रु0 50/- प्रतिदिन के दर से रख-रखाव शुल्क आपूर्ति कर्ता के बिजक / जमानत राशि से वसूल की जाएगी अथवा सामग्री का यथा उचित निस्तारण बिना किसी अन्य सूचना के कर दिया जाएगा जिसके लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अन्तिम होगा एवं आपूर्ति कर्ता को मान्य होगा। आपूर्ति के समय, आपूर्तिकर्ता को सामग्री के परीक्षण / जांच की तारीख एवं समय दिया जायेगा ताकि आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वह अपने समक्ष या अपने द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति के समक्ष सामग्री का परीक्षण करा सकेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा तारीख व समय न लेने की स्थिति में यह माना जायेगा कि वह सामग्री की जांच अपनी उपस्थिति में करवाने को इच्छुक नहीं है। यदि आपूर्ति की जाने वाली सामग्री रसायन श्रेणी की है तो सामग्री के साथ उसका जांच प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस) प्रस्तुत करना होगा।

(XVI) आपूर्ति किए गए सामग्री के भुगतान हेतु बिजक के उपर सामग्री का GST कोड, वास्तविक मूल्य, कर की दर एवं राशि अलग-अलग दर्शाना आवश्यक है अन्यथा बिजक स्वीकार्य नहीं होगा।

(XVII) आपूर्ति आदेश में दर्शाये विवरण के अनुसार ही बिजक में सामग्री का विवरण दर्शाना होगा अन्यथा बिजक स्वीकार्य नहीं होगा।

(XVIII) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेंट्रल रूल) सं0 195/1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का G.S.T. No.09AAAGG0195B1ZS है।

(XIX) महाप्रबंधक के पास किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कोई भी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक-कोटेशन देने हेतु प्रोफार्मा

## कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,

महाप्रबन्धक,  
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,  
गाजीपुर।

महोदय,

निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा. सं. 2/25/2018/पी.एस.सी. दिनांक 26.03.2019 के सन्दर्भ में हमारा दर निम्नवत है :-

## (अ) दर भरने की सारणी

कम सं.	सामग्री का विवरण (पूरे स्पेशिफिकेशन सहित)	मात्रा / संख्या / वजन आदि (इकाई के साथ)	दर प्रति यूनिट(रु में)	GST की दर, HSN Code व धनराशि	आईटम वाईज कुल कीमत (रु. में)
1	2	4	5	6	7
1	Chemflo chemical process Centrifugal Pump. Body, shoft and impeller made from SS-316 Model – MSP-1A– 40 X25 – 125, RPM – 2900 Complete with base plate and suitable flame proof AC, Induction Motor, 3 Phase, Make – AKAY Industry.	2 Set			
2	Chemflo chemical process Centrifugal Pump. Body, shoft and impeller made from SS-316 Model – MSP-1A – 40 X25 – 160, RPM – 1450 Complete with base plate and suitable flame proof AC, Induction Motor, 3 Phase, Make – AKAY Industry.	2 Set			
3	Chemflo Cartridge Mechanical Seal. Type – CR100 B1 Suitable for Model – MSP-1A – 40 X25 – 125 and 440 X25 – 160, Make – AKAY Industry.	6 Nos.			
Total					

कुल कीमत (अंकों एवं शब्दों में) .....

## (ब) नियम एवं शर्तें

- सभी कर जैसे की GST आदि स्पष्ट रूप से अंकित किए गये हैं।
- यदि वस्तु को अधिकतम खुदरा मूल्य(maximum retail price) के आधार पर बेचे जाने का प्रावधान है तो कालम नं0 (5) में दिया गया दर अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाने वाली छूट (discount) के बाद दिया गया है तथा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत दर के साथ लगे कोष्टक में अंकित है। इस दर में सभी कर (टैक्स) सम्मिलित हैं।
- आपूर्ति कर्ता /निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी तरह से अन्य शर्तें देने की दशा में उसे आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता द्वारा अनिच्छुक माना जा सकता है यदि वह अन्ततः ऐसी किसी अतिरिक्त शर्त/ शर्तों को वापस नहीं लेता है।
- उपरोक्त दर की वैधता कोटेशन खोले जाने की तिथि/दिन से 180 दिनों तक लागू होगी।
- उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में दी गयी आपूर्ति समय- सीमा के अन्दर की जायेगी। केवल अपरिहार्य कारणों एवं परिस्थितियों में ही आपूर्ति समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया जायेगा और इस विषय में महाप्रबंधक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- दर देने से पूर्व सामग्री की उपलब्धता को जाँच कर ली गयी है एवं उसे नियत समय अवधि के अन्दर आपूर्ति किया जाएगा। जब तक आपूर्ति आदेश के अनुसार पूर्ण आपूर्ति नहीं की जायेगी तब तक भुगतान की माँग नहीं की जाएगी एवं अधूरे आपूर्ति के स्थिति में आरोपित किए गए आर्थिक दण्ड मान्य होगा।
- देरी से (निर्धारित या बढ़ी हुई समय सीमा के बाद) आपूर्ति करने पर नियमानुसार दण्ड देय/ मान्य होगा।

(viii) जांच/परीक्षण में यदि सामग्री आपूर्ति में दिए मानकों /विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पायी गयी तो वह स्वीकार्य नहीं की जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता उस सामग्री को स्वयं के व्यय पर मॉगकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किए जाने के एक सप्ताह या महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पर बढ़ायी गयी समय सीमा के अन्दर वापस ले जाने के लिए बाध्य होंगे। यदि सामग्री उपरोक्त समय सीमा में वापस नहीं ले जायी जाती है तो रु0 50/- प्रतिदिन के दर से रख-रखाव शुल्क आपूर्ति कर्ता के बिजक / जमानत राशि से वसूल की जाएगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री को दी गयी समय सीमा में वापस न लेने पर उसका विभाग द्वारा यथा उचित निस्तारण बिना किसी अन्य सूचना के कर दिया जाएगा जिसके लिए न ही कोई भुगतान देय होगा और न ही हमारे द्वारा अस्वीकृत सामग्री हेतु किसी तरह के भुगतान की मांग की जायेगी। इस संबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा एवं आपूर्ति कर्ता को मान्य होगा। आपूर्ति के समय, आपूर्तिकर्ता को सामग्री के परीक्षण / जांच की तारीख एवं समय दिया जायेगा ताकि आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वह अपने समक्ष या अपने द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति के समक्ष सामग्री की परीक्षण करा सकेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा तारीख व समय न लेने की स्थिति में यह माना जायेगा कि वह सामग्री की जांच अपनी उपस्थिति में करवाने को इच्छुक नहीं है।

(ix) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री रसायन श्रेणी की होने पर सामग्री के साथ जांच प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस) प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,

स्थान :-  
दिनांक :-

(क) (हस्ताक्षर)  
(फर्म की सील)  
फर्म का पूरा नाम व पता  
GSTN No.

(I) मेरे द्वारा दर के सारणी (अ) के क0 सं0 1 से 7 तक सभी निविष्टियाँ पूर्ण रूपे भरी गयी हैं।

(II) मेरे द्वारा कुल कीमत अंकों एवं शब्दों में भरी गयी हैं।

(III) मेरे द्वारा निविदा एवं बिजक के प्रत्येक प्रति में हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पायी जाएगी तथा बिजक पर रसीदी टिकट अवश्य लगायी जाएगी। अगर हस्ताक्षर में भिन्नता पाई जाती है या रसीदी टिकट नहीं लगायी जाती है तो समय से भुगतान प्राप्त करने का मेरा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) (हस्ताक्षर)  
(फर्म की सील)  
फर्म का पूरा नाम व पता  
GSTN No.

#### घोषणा

मैं श्री..... निविदा सं0 ..... दिनांक..... में सभी नियमों को भलीभाँति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमतायें या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा। मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगायी गयी है तथा मेरी फर्म का पूरा पता दिया गया है।

स्थान :-  
दिनांक :-

(ग) (हस्ताक्षर)  
(फर्म की सील)  
फर्म का पूरा नाम व पता  
GSTN No.